न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 12/2021 निर्णय दिनांक :– 11.03.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. तरूण अग्रवाल पुत्र सत्यनारायण गुप्ता निवासी सिविल लाईन, टोंक तहसील टोंक जिला टोंक राज0।
2. मोतीलाल पुत्र बनवारीलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी मकान नं0 24 कीर्ति नगर सोडाला, न्यू सांगानेर जयपुर।

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–
श्री प्रेम चन्द जैन
श्री अनिल चौहान
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 275 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम भरना तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीगण काबिज चल आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 275 पर आने जाने का वर्षो से रास्ता खसरा नम्बर 277 व 279 ग्राम भरना जो सिवायचक भूमि है मे होकर है। इसमें होकर ही खसरा नम्बर 275 के पूर्व खातेदार अपने भूमि पर आते जाते रहे है। उन खातेदारो से प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 275 का सम्पूर्ण रकबा खरीद किया है। जिसके आधार पर इनके नाम नामान्तकरण संख्या 363 दिनांक 08.07.16 हो तस्दीक होकर जमाबन्दी मे अमल दरामद हो चुका है। प्रार्थीगण को पूर्व खातेदारो के स्थान पर खातेदारी अधिकारो के साथ अपनी भूमि पर आने जाने के लिए उक्त खसरा नम्बर 277 व 279 मे होकर रास्ते का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 275 पर आने जाने के लिए इनके पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 277 व 279 मे होकर 15 फिट चौडा रास्ता खसरा नं0 275 तक पहुचने के लिए आवागमन हेतु

प्राप्त करने की शक्त तथा आत्यन्तिक आवश्यकता है अन्यथा रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आ जा नही सकेंगे तथा उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपार हानि एवं कई प्रकार की परेशानियां एवं असुविधाऐं उत्पन्न होगी। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 277 व 279 में 15 फिट चौड़ा रास्ता लेने की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई ताकि आस–पास के कृषक एवं अन्य व्यक्ति विवाद उत्पन्न नही करे एवं भविष्य मे काई विवाद न हो। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की नियमानुसार कीमत जमा करवाने पर तथा न्यायालय की शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 275 ग्राम भरना तहसील देवली जिला टोंक मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 277, 279 ग्राम भरना तहसील देवली मे होकर 15 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाने का आदेश दिया जावे तथा रास्ते का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड मे करवाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–प्रार्थी को स्वंय की आराजी ख0 नं0 275 पर पहुॅचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीयान को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की माप निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	ख0नं0	ल0 मी0 में	चौ0 मी0 में	क्षे0व0मी0	किस्म भूमि
1.	277	56	4.5	252	सि0 नहरी।
2.	279	6	4.5	027	सि0 नहरी।
	योग	62		279 व0मी0	

रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि वर्तमान डीएलसी 733917/–रू. प्रति है0 होती है। आवेदक की आराजी ख0नं0 277 व 279 मे से रास्ता चाहता है जो लाल स्याही से चिन्हित नक्शा ट्रेस मे कर दिया गया है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान मे जो प्रस्तावित दिया है, उसका अन्य रास्ते से लिंक नही है। अन्य रास्ता नहर का है जो उक्त प्रस्तावित रास्ते के उत्तर दिशा मे है, दोनो के बीच नहर है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़ दिवार आदि नही है लेकिन नहरी रास्ते से लिंक होने से पहले प्रथम छोर मे नहर है। आवेदित रास्ते की भूमि राजकीय सिवायचक है। अतः मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की प्रतियां संलग्न कर रिपोर्ट साद्र प्रेषित है। संलग्न :– उक्तानुसार।

उक्त तहसीलदार दूनी की मौका रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं होने पर तहसीलदार दूनी से पुनः विस्तृत मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार भू0 अभिलेख निरीक्षक देवड़ावास से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी ख0न0 275 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम भरना पर आने जाने एंव कृषि कार्य हेतु आराजी ख. नं. 277 एवं ख. नं. 279 में से रास्ता दिये जाने बाबत पुनः मौका देखा गया। मौका अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख. नं. 275 से लगती हुई भूमि ख. नं. 279 से होकर ख. नं. 277 से होते हुए नहर पर जाने हेतु रास्ता दिया जाता है, तो प्रार्थीगण नहर के साथ स्थित रास्ते उसे मुख्य सडक मार्ग (ग्राम भरना से थली–धुंवा रोड) पर होकर मुख्य मार्ग पर आवागमन कर सकेगा। जिस ख0नं0 277 एंव 279 से प्रार्थीगण रास्ता चाहतें है दोनो ही आराजी को उनकी खातेदारी राजकीय भूमियां है, जिन्हे संलग्न ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके अनुसार प्रार्थीगण पूर्व में प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिया जाना उचित होगा। प्रार्थीगण को पनी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

अतः मौका रिपोर्ट एंव ट्रेस नक्शा संलग्न कर रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वर्तमान में प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार ने रास्ते बाबत अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। अतः तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता तरमीम किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है। ।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है, होना बताया है। आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है आराजी ख. नं. 275 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है और प्रार्थीगण की इस खातेदारी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यन्तिक है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस

में लाल स्याही से दर्शित अनुसार सिवायचक ख. नं. 277 किस्म सिवायचक प्रथम में प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 4.5 मीटर तथा लम्बाई 56 मीटर यानि क्षेत्रफल 56 X 4.5 = 252 वर्गमीटर, ख0नं0 279 में चौडाई 4.5 मीटर एवं लम्बाई 6 मीटर यानि क्षेत्रफल 6 X 4.5 = 27.0 वर्गमीटर, कुल क्षेत्रफल 279.00 वर्गमीटर रास्ते की भूमि की DLC दर 733917/– रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसकी 279.00 वर्ग मीटर के लिए दुगुनी प्रतिकर राशि 40955/– रूपये जमा कर अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली